23906 **कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

संख्याः /सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26 देहरादून दिनांकः फरवरी, 17 ,2026

जिला आबकारी अधिकारी,
देहरादून।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु मदिरा दुकान नवीनीकरण के लिए निर्धारित समय सारणी में दिये गये समय के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 3426/जि०आ०अधि०/देशी/विदेशी मदिरा दुकान/व्यवस्थापन/2025–26/देहरादूनः दिनांकः फरवरी, 17, 2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद देहरादून में संचालित देशी मदिरा दुकान की समस्त 37 दुकानों हेतु नवीनीकरण के लिये आवेदन प्राप्त हो गये है तथा 55 विदेशी मदिरा दुकानों में से 52 मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुये है, जबकि 03 विदेशी मदिरा दुकान (राजपुर रोड़ निकट आर०टी०ओ०, डालनवाला परेड ग्राउण्ड एवं जी०एम०एस० रोड़) के नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये है। इसी क्रम में अवगत कराया गया है कि अनवीनीकृत विदेशी मदिरा दुकानों जिन पर नवीनीकरण हेतु आवेदन फार्म प्राप्त नहीं हुये है के सम्बन्ध में वर्तमान अनुज्ञापियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु पृच्छा की गयी एवं यह भी अवगत कराया गया है कि नवीनीकरण से रह गयी मदिरा दुकानें वर्तमान में निर्धारित राजस्व से अधिक पर व्यवस्थापित हो सकती है, जिसमें अधिकतम राजस्व के सम्बन्ध में चर्चा करने पर निम्न प्रकार से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैः–

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु निर्धारित राजस्व (जो लॉटरी के माध्यम से प्राप्त होगा)	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु अनुज्ञापियों द्वारा प्रस्तावित अधिकतम राजस्व (लगभग)	वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु निर्धारित राजस्व (जो लॉटरी के माध्यम से प्राप्त होगा)	वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु अनुज्ञापियों द्वारा प्रस्तावित अधिकतम राजस्व (लगभग)
1	राजपुर रोड़ (निकट आर०टी०ओ०)	86984820	9,00,70,000	90464213	9,30,140,00
2	डालनवाला परेड ग्राउण्ड	95708343	10,00,90,000	99536677	10,20,60,000
3	जी०एम०एस० रोड़	127033668	13,00,60,000	132115015	13,40,18,000

उपरोक्त विषयक आबकारी नीति विषयक नियमावली, वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2024–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–42 में स्पष्ट प्राविधानित है किः– "थोक एवं खुदरा अनुज्ञापनों, आसवनियों व बॉटलिंग इकाई के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई आती है और इसके सम्बन्ध में आबकारी नीति विषयक नियमावली या अन्य सुसंगत नियमावली में प्रविधान नहीं है, तब ऐसी दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के राजस्वहित में निर्णय लिया जा सकेगा।"

तद्क्रम में ऐसी दशा में आबकारी नीति विषयक नियमावली, वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2024–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–1.1 के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जनपदवार निर्धारित राजस्व को प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार आबकारी नीति विषयक नियमावली, वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2024–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–42 के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश आबकारी राजस्व लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत अधिकतम राजस्व पर प्रश्नगत मदिरा दुकानों का आवंटन किया जाये।

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

संख्याः 23907-II /सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26 देहरादूनः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. उप आबकारी आयुक्त, परिक्षेत्र, देहरादून/हरिद्वार व नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
5. समस्त क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner